# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प–2(ई.सी.202)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2016/डी– 207 दिनांकः 26.4.2016

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 202वीं बैठक दिनांक 21.04.2016 का कार्यवाही विवरण

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 202.1 | कार्यकारी समिति की 201 वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। | विचार–विमर्श पश्चात कार्यकारी समिति की 201वीं बैठक की एजेण्डा 201.40 जो "Withdraw of withdrawal work "Remaining civil work in Indoor Polo Arena at Shooting Range. Jagatpura. Jaipur" से सम्बन्धित है, पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पुनः विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत कार्यकारी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 के एजेण्डा संख्या 201.40 पर लिए गए निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। कार्यकारी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 के शेष कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। | |
| 2. | 202.2 | कार्यकारी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। | कार्यकारी समिति की 201वीं बैठक दिनांक 23.02.2016 में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया गया। | |
| 3. | 202.3 | आयुक्त महोदय द्वारा कार्यालय आदेश कमांक प–14(9) जविप्रा/संस्था/ 2016 दिनांक 19.01.16 को कार्यकारी समिति से अनुमोदन करवाने बाबत्। | विचार–विमर्श पश्चात राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोज़ल ऑफ अरबन लैण्ड) 1974 के नियम 17(5) के अन्तर्गत आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों तथा जनता से जुड़े विभिन्न रूटीन प्रवृत्ति के कार्यों के त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में जारी किए गए कार्यालय आदेश कमांक | उपायुक्त जोन–13ए |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | प-14(9) जविप्रा/संस्था/ 2016 दिनांक 19.01.16 का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। साथ ही उक्त आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने का भी निर्णय भी लिया गया। | |
| 4. | 202.4 | जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एनक्लेव के भूखण्ड सं. -ए-192 के नियमितिकरण करने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी एन्क्लेव के भूखण्ड संख्या ए-192 के लिए देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे। | उपायुक्त जोन-14 |
| 5. | 202.5 | मूण्डिसारामसर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जी-239 के नियमितिकरण के संबंध में। | विचार-विमर्श पश्चात मूण्डियासर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या जी-239 के लिए देय राशि 702 दिवस में जमा होने के कारण उक्त भूखण्ड के लिए शेष देय राशि तथा ब्याज एवं शास्ति जमा करवाने की शर्त पर उक्त भूखण्ड का नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितीकरण करते समय डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स 1974 के रूल 17(5)(ii) के प्रावधानों का ध्यान रखा जावे। | उपायुक्त जोन-12 |
| 6. | 202.6 | खसरा नम्बर 21/161 ग्राम बाढ मोहनपुरा का भू-उपयोग | प्रकरण में अंकित राजस्व ग्राम बाढ मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर | उपायुक्त जोन-8 |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | मास्टर विकास योजना 2025 में दर्शित आवासीय से सिर्फ पर्यटन ईकाई यथा होटल हेतु व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के संबंध में। | 21/161 क्षेत्रफल 798.00 वर्गमीटर भूमि का जविप्रा द्वारा दिनांक 16.05.2013 को आवासीय एकल पट्टा जारी किया जा चुका है। विचार-विमर्श पश्चात उक्त भूमि का भू-उपयोग उपांतरण पर्यटन इकाई नीति, 2015 के तहत रिसर्जेट राजस्थान में राजस्थान सरकार एवं आवेदक के मध्य हुए मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग दिनांक 05.11.2015 के आधार पर मास्टर विकास योजना-2015 में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) किए जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त (जोन-8) ने अवगत कराया कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल 6000 वर्गमीटर से कम है। अतः जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(1) की कार्रवाई जविप्रा स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों पर चर्चा पश्चात यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 20.04.2016 की बैठक में हुए विचार-विमर्श व निर्देशानुसार रिसर्जेट राजस्थान के अन्तर्गत किए गए एम.ओ.यू. तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के साथ-साथ राजकीय विभागों/उपक्रमों एवं सरकारी भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को रूटीन | |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जय

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | मेनर (Routine Manner) का प्रकरण न मानकर विशिष्ट प्रकरण मानते हुए भू-उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई की जावे। | |
| 7. | 202.7 | खसरा नम्बर 22 ग्राम बाढ मोहनपुरा का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2025 में दर्शित आवासीय से सिर्फ पर्यटन ईकाई यथा होटल हेतु व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। | विचार-विमर्श पश्चात राजस्व ग्राम बाढ़ मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 22 क्षेत्रफल 5400.00 वर्गमीटर में से अनुमोदित सेक्टर सड़कों के क्षेत्र में आने वाली भूमि 1024.33 वर्गमीटर व सेक्टर व्यावसायिक भूमि 2589.94 वर्गमीटर को छोड़ते हुए शेष भूमि 1785.73 वर्गमीटर भूमि, जिसका भू-उपयोग उपांतरण पर्यटन इकाई नीति, 2015 के तहत रिसर्जेंट राजस्थान में राजस्थान सरकार एवं आवेदक के मध्य हुए मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग दिनांक 05.11.2015 के आधार पर मास्टर विकास योजना-2025 में भू-उपयोग परिवर्तन आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) किए जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त (जोन-8) ने अवगत कराया कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल 10,000 वर्गमीटर से कम है व कृषि भूमि है। अतः जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 25(1) की कार्रवाई जविप्रा स्तर पर किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों पर चर्चा पश्चात यह नीतिगत निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 20.04.2016 की बैठक में हुए | उपायुक्त जोन-8 |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | विचार–विमर्श व निर्देशानुसार रिसर्जेट राजस्थान के अन्तर्गत किए गए एम.ओ.यू. तथा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों के साथ–साथ राजकीय विभागों/उपक्रमों एवं सरकारी भूमि से सम्बन्धित प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों को रूटीन मेनर (Routine Manner) का प्रकरण न मानकर विशिष्ट प्रकरण मानते हुए भू–उपयोग परिवर्तन की कार्रवाई की जावे। | |
| 8. | 202.8 | Post Facto Approval of tender for the work "Finishing work of Rajasthan International Center near OTS Jaipur" | विचार–विमर्श पश्चात "Finishing work of Rajasthan International Center near OTS Jaipur". के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स आनन्दीलाल लालपुरिया के पक्ष में बिना शर्त "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 5.45% अधिक दर पर राशि रूपए 13,36,30,403.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रकरण प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि Technically Responsive Offer कितने हैं एवं यदि एक ही offer तकनीकी रूप से Responsive रहता है तो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम 68 की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जावे। इस बाबत उचित कार्यालय आदेश जारी करने के निर्देश | निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | दिए गए। | |
| 9. | 202.9 | Approval of tender for the work "Construction of New Building of ESTI at Jhalana Doongri, Jaipur." | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of New Building of ESTI at Jhalana Doongri, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स अनुराग एन्टरप्राईजेज के पक्ष में बिना शर्त "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 1.13% कम दर पर राशि रूपए 9,30,10,224.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रकरण प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि Technically Responsive Offer कितने हैं एवं यदि एक ही offer तकनीकी रूप से Responsive रहता है तो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम 68 की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे। इस बाबत उचित कार्यालय आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 10. | 202.10 | मालवीय नगर डी-ब्लॉक सामुदायिक केन्द्र को रख-रखाव एवं संचालन के लिए मालवीय नगर डी-ब्लॉक विकास समिति को सुपुर्द करने का निर्णय बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जनता कॉलोनी में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को रख-रखाव हेतु जिन शर्तों पर समिति को सौंपा गया है उन्हीं शर्तों पर मालवीय नगर डी-ब्लॉक में निर्मित सामुदायिक केन्द्र को मालवीय नगर डी-ब्लॉक विकास समिति को रख-रखाव एवं संचालन हेतु सौंप दिया जावे। | उपायुक्त जोन-1 |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 202.11 | Approval for the Electrification work including 33 KV charging feeder of JDA residential institutional scheme Rajarampura at Sikar road, Jaipur | विचार–विमर्श पश्चात "Electrification work including 33 KV charging feeder of JDA residential institutional scheme Rajarampura at Sikar road, Jaipur". के लिए Negotiation आमंत्रित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में नेगोसिएशन आमंत्रित करने एवं न्यूनतम दरदाता मैसर्स एम. आर. आर. इलैक्ट्रिकल्स एवं कॉन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 21.60% कम दर पर राशि रूपए 2,91,07,624.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) |
| 12. | 202.12 | जविप्रा जोन–8 क्षेत्र में Improvement and Widening of Iskcon Road from New Sanganer Road Terminal Market in Zone-8 area in JDA,Jaipur की निविदा अनुमोदन हेतु। | विचार–विमर्श पश्चात " Improvement and Widening of Iskcon Road from New Sanganer Road Terminal Market in Zone-8 area in JDA, Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स मुरारीलाल अग्रवाल के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 16.17% कम दर पर राशि रूपए 4,47,22,975.00 के जारी किए गए | निदेशक (अभियान्त्रिकी–द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | कार्यादेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| अन्य बिन्दु आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA) | | | | |
| 13. | 202.13 | Post Facto Approval of tender for the work of 'Various Development Work in Jamwaramgarh Constituency Area (G.P.Bhanpur Kallan), Zone-13, JDA, Jaipur' | विचार-विमर्श पश्चात 'Various Development Work in Jamwaramgarh Constituency Area (G.P.Bhanpur Kallan), Zone-13, JDA, Jaipur' के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स जय भवानी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2012" पर 15.93% कम दर पर राशि रूपए 4,69,55,039.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में कार्य के लिए जितने भी Tender प्राप्त हुए हैं, उन सभी का उल्लेख एजेण्डा नोट किया जावे तथा तुलनात्मक विवरण भी एजेण्डा के साथ संलग्न किया जावे। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 14. | 202.14 | Agenda regarding ratification of approval of tender in the work "Construction of drain, footpath at MG road from Royalty Marg to Shamshan and renewal work from Apex Circle to Shamshan in Zone-1A area JDA Jaipur". | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of drain, footpath at MG road from Royalty Marg to Shamshan and renewal work from Apex Circle to Shamshan in Zone-1A area JDA Jaipur". के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स गोयल सावित्री इण्डस्ट्रीज के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 9.02% कम दर पर एवं Non BSR Item No. 1 @ 900.62/- Sqm के लिए राशि रूपए 2,06,22,543.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 15. | 202.15 | Decision on the works for which A & F Sanctions dropped or reduced for which bids received and either bids were approved or in the process of approval. | विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-<br>(I) जिन प्रकरणों की A & F drop नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में यदि Differential Security Deposit निविदा शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संवेदकों द्वारा जमा नहीं करवाने की स्थिति में Bid security ज़ब्त करने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित की जावे।<br>(II) ऐसे प्रकरणों में जिनमें A & F जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य की आवश्यकता नहीं होने पर Drop कर दी गई है, उनमें Bid security रिफण्ड की जावे। उक्त बिन्दु पर विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जब प्राधिकरण द्वारा A & F को drop कर कार्य को नहीं करने का निर्णय लिया गया है तो ऐसी स्थिति में Bid security को ज़ब्त करना उचित व वांछित नहीं होगा। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 16. | 202.16 | Approval of Tender for the work: Construction of Sector road in Zone-16, PRN North, JDA, Jaipur. (ARC) | विचार-विमर्श पश्चात " Construction of Sector road in Zone-16, PRN North, JDA, Jaipur. (ARC)." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स खुदाबख़्श पठान के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 14.01% कम दर पर राशि रूपए 6,57,13,822.00 की निविदा स्वीकृत करने एवं "Acceptence letter" जारी करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 17. | 202.17 | Agenda note regarding Post-Facto approval of changes from Master Bid Document in the Two Bid Tender for the work of "Rural Water Supply Scheme for Villages of Gram Panchayat Bhapura" | विचार-विमर्श पश्चात "Rural Water Supply Scheme for Villages of Gram Panchayat Bhapura" के लिए "Master Bid Document" में एजेण्डानुसार किए गए परिवर्तनों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 18. | 202.18 | Construction of Cement Concrete road of main entrance road of Shankar Colony ward no.10 Naya Khera VDN, Zone-2 area, JDA, Jaipur | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of Cement Concrete road of main entrance road of Shankar Colony ward no.10 Naya Khera VDN, Zone-2 area, JDA, Jaipur के सम्बन्ध में प्रथम न्यूनतम निविदादाता मैसर्स ए. बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोपराईटर का निधन हो जाने के कारण बैंक गारण्टी की राशि फर्म को लौटाने का निर्णय लिया गया।<br>साथ ही यह निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य के लिए एल-2, एल-3 तथा इसी क्रम में अन्य निविदादाताओं से Negotiation किया जावे तथा जो निविदादाता एल-1 द्वारा दी | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | गई Rate पर कार्य करने के लिए तैयार हो उन्हें "Acceptance letter" जारी किया जावे। | |
| 19. | 202.19 | स्व. श्री रमेश चन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र श्री दौलतराम को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात स्व. श्री रमेश चन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पुत्र श्री दौलतराम को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) |
| 20. | 202.20 | प्राधिकरण में सूचना सहायक के 05 पद सृजित किये जाने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ-5(525)सूप्रो/टेक/06/पार्ट-II/I/42873/2015 दिनांक 18.12.2015 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृत किए गए सूचना सहायक के 05 पदों को प्राधिकरण में सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रकरण को सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। | अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) |
| 21. | 202.21 | Approval of Tender for the work "Electrification work of Residential scheme at Surajpura, Titoli, Chaksu, Jaipur. | विचार-विमर्श पश्चात "Electrification work of Residential scheme at Surajpura, Titoli, Chaksu, Jaipur", के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स भावरिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR" पर 29.92% कम दर पर राशि रूपए | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | 7,11,42,254.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 22. | 202.22 | "Development of Walk through war museum at " Amar Jawan Jyoti" JDA, Jaipur" | विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 23. | 202.23 | Approval of Tender for the work "Construction of six lane ROB in lieu of LC-70 on JP-SWM Railway line, JDA, Jaipur." | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of six lane ROB in lieu of LC-70 on JP-SWM Railway line, JDA, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स एआरएसएस-एसआईपीएस (जेवी) के पक्ष में "G-Shedule for BSR" पर 11.50% कम दर पर रूपए 84,42,78,357.67 एवं Non BSR Item के लिए राशि रूपए 3,00,30,387.40 कुल राशि रूपए 87,43,08,745.07 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 24. | 202.24 | Agenda Note regarding seeking loan assistance from NCR-PB for the sewerage project in remaining part of Jaipur City. | विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 25. | 202.25 | Funding for Master Drainage Project (Phase-I) from NCR-PB. | विचार-विमर्श पश्चात समिति द्वारा एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 26. | 202.26 | जयपुर विकास प्राधिकरण में संवेदकों के नवीन पंजीकरण नियमों के अनुसार नवीन पंजीयन डिपोजिट राशि जमा कराने की अतिंम तिथि बढाने बाबत। | विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में संवेदाकों की पंजीयन राशि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-<br>1. संवेदकों द्वारा नवीन पंजीयन डिपोज़िट (पूर्व जमा पंजीयन डिपोज़िट एवं नवीन डिपोज़िट के अन्तर की राशि) जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2016 से | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | बढ़ाकर 30.06.2016 की जावे।<br>2. दिनांक 30.06.2016 तक जिन संवेदकों द्वारा पंजीयन डिपोज़िट जमा नहीं करवाया जाता है, उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जावे। | |
| 27. | 202.27 | Approval of Tender for the work "Construction of four lane ROB in lieu of LC-102/2F Sikar Railway line, Jaipur." | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of four lane ROB in lieu of LC-102/2F Sikar Railway line, Jaipur." के लिए न्यूनतम दरदाता मैसर्स रचना कन्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule for BSR" पर 9.99% कम दर पर रूपए 50,43,86,954.35 एवं Non BSR Item के लिए राशि रूपए 4,15,82,843.50 कुल राशि रूपए 54,59,69,797.80 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 28. | 202.28 | Ex post facto Ratification of Bid Documents for the work of Construction of Six lane ROB in Lieu of L.C. 211 on JP-DLY Railway line at goner road Near Dantli, Jaipur | विचार-विमर्श पश्चात "Bid documents" की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 29. | 202.29 | Approval of tender for the work "Construction of BT Roads in PAP area of Ring Road Zone-14A village: Goner, Rampurabass Goner, Shivdashpura and Goverdhanpura (CH-12700 to 19500) Package-VIII | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of BT Roads in PAP area of Ring Road Zone-14A village: Goner, Rampurabass Goner, Shivdashpura and Goverdhanpura (CH-12700 to 19500) Package-VIII " के लिए Negotiation आमंत्रित करने की कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा न्यूनतम दरदाता मैसर्स पारूल कन्ट्रक्शन कम्पनी को "G-Shedule BSR" पर 12% कम दर पर Counter offer | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। निविदा को accept करने की स्थिति में उस शर्त पर निविदा award की जावे तथा आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जावे। | |
| 30. | 202.30 | Approval of Tender for the work: Construction of roads in various co-operative schemes of sector 'F' in Zone-18, JDA, Jaipur. (Annual Rate Contract.) | विचार-विमर्श पश्चात " Construction of roads in various co-operative schemes of sector 'F' in Zone-18, JDA, Jaipur. (Annual Rate Contract.). के लिए Negotiation आमंत्रित करने एवं उक्त कार्य के लिए एकल दरदाता मैसर्स पारूल कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule on BSR" पर 12.86% कम दर पर रूपए 4,72,85,000.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रकरण प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि Technically Responsive Offer कितने हैं एवं यदि एक ही offer तकनीकी रूप से Responsive रहता है तो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम 68 की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 31. | 202.31 | जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 के समस्त संवर्गों की विसंगतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार | विचार-विमर्श पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्ते) विनियम 1984 के समस्त संवर्गों की विसंगतियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के सेवा नियमों के अनुसार एकरूपता लाने के सम्बन्ध में एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों का | अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | एकरूपता लाने के सम्बन्ध में। | अनुमोदन करते हुए प्राधिकरण की बैठक के समक्ष पूर्व में प्रेषित एजेण्डा के साथ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 32. | 202.32 | Approval of Tender for the work: Rate Contract for Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-II | विचार-विमर्श पश्चात " Construction of Internal Bituminous Roads in Various Co-operative Schemes of Zone-17, JDA, Jaipur Phase-II." के लिए एजेण्डानुसार एकल दरदाता मैसर्स मुरारीलाल अग्रवाल से नेगोसिएशन आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रकरण प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे कि Technically Responsive Offer कितने हैं एवं यदि एक ही offer तकनीकी रूप से Responsive रहता है तो राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के नियम 68 की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जावे। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 33. | 202.33 | Relaxation in DLP of M/s Rakesh Agarwal for Construction of Missing link of Mahal raod from Ch.3900 to 4920 (Central Spine part) Zone-9, JDA, Jaipur (New chainage work 3210.00 to 4030.00). | विचार-विमर्श पश्चात एजेण्डा में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |
| 34. | 202.34 | Agenda regarding approval of work for Preparation of Audio-Video content for War Museum at Amar Jawan Jyoti, JDA, Jaipur. | विचार-विमर्श पश्चात "Work for Preparation of Audio-Video content for War Museum at Amar Jawan Jyoti, JDA, Jaipur." के लिए निम्न कार्यों की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई :- | निदेशक (अभियान्त्रिकी-प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | (i) To taking up work under single source procurement method.<br>(ii) Single source bid document for the preparation of multimedia content at war museum.<br>(iii) To call negotiation with the agency M/s Bhaumanah.<br>साथ ही निम्न कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई :-<br>(i) Approval to award the work to M/s bhaumanah for negotiated amount of Rs. 11425000.00 (Rupees one crore fourteen lacs twenty thousand only).<br>(ii) For payment to be made to M/s Bhaumanah as under :<br>(a) 10% after completion 25% work of preparation of multimedia content.<br>(b) 60% after providing audio video system (i.e. CD's, video's) to JDA.<br>(c) 20% after successful installation and running of audio video system.<br>(d) 10% after 6 months from start of audio video system. | |
| 35. | 202.35 | Approval of tender for the work of ' Construction of Road From NH-11 to Bhairaya ki Dhani, Zone-13A, JDA, Jaipur'. | विचार-विमर्श पश्चात " Construction of Road From NH-11 to Bhairaya ki Dhani, Zone-13A, JDA, Jaipur'." के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स जे.एम.डी. कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2013" पर 27.11% कम दर पर राशि रूपए 67,90,065.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | |
| 36. | 202.36 | Approval of tender for the work of ' Construction of road for Meeno ki Dhani and Bagdon ki Dhani ward No-3 Bhadarna, Zone-13A, JDA, Jaipur.' | विचार-विमर्श पश्चात "Construction of road for Meeno ki Dhani and Bagdon ki Dhani ward No-3 Bhadarna, Zone-13A, JDA, Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स वेद प्रकाश कॉन्ट्रेक्टर कम्पनी के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR 2013" पर 27.18% कम दर पर राशि रूपए 69,45,765.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |
| 37. | 202.37 | Approval of Tender for "O & M of Rain Water Harvesting Structures at various locations under JDA, Jurisdiction, Jaipur | विचार-विमर्श पश्चात "O & M of Rain Water Harvesting Structures at various locations under JDA, Jurisdiction, Jaipur". के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स मुसकान कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में राशि रूपए 27,67,479.00 की निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी-द्वितीय) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 38. | 202.38 | टोंक रोड़ स्थित रीको के जैक पार्क योजना के भू-उपयोग को मास्टर विकास योजना-2025 जयपुर रीजन के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय के स्थान पर औद्योगिक दर्शाये जाने की स्वीकृति बाबत्। | विचार-विमर्श पश्चात प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-<br>1. प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011, जिसमें मास्टर विकास योजना- 2025 का अनुमोदन किया गया था, के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 22 व 35 के अनुसार रीको द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 21.10.2010 के क्रम में एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 7254/2003 में दिए गए निर्णय की अनुपालना में रीको की जैम पार्क योजना की 40.92 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 के भू-उपयोग मानचित्र में आवासीय के स्थान पर औद्योगिक दर्शाया जावे। इस आशय का गजट नोटीफिकेशन भी करवाया जावे।<br>2. रीको के अधिकारियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जैम पार्क योजना में गोलाकार आकृति में दर्शित रोड, पूर्व में रीको द्वारा वर्ष 1997 में जैम पार्क योजना हेतु बनाई गई योजना के अनुसार मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शाई गई है। किन्तु वर्तमान में रीको द्वारा उक्त योजना का संशोधन किया जा रहा है, जिसमें इस गोलाकार आकृति की सड़क में संधोधन किया जा सकता है।<br>अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि यह सड़क केवल रीको की भूमि में ही प्रस्तावित थी, किसी अन्य | निदेशक (नगर आयोजना) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | की भूमि को प्रभावित नहीं कर रही है। अतः भविष्य में रीको द्वारा जैम पार्क योजना में जो भी सड़क प्रस्तावित की जावेगी उसे मास्टर विकास योजना–2025 का भाग माना जावेगा।<br>रीको के प्रकरणों के सम्बन्ध में ली गई बैठक में भी मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के द्वारा भी इस बाबत निर्देश प्रदान किए गए हैं।<br>उपरोक्त निर्णय की पुष्टि प्राधिकरण की आगामी बैठक में भी करवाने का निर्णय लिया गया। | |
| 39. | 202.39 | Ex-post facto approval of EC regarding additional "Work of shifting of electrical utilities on the Gopalpura bye-pass road (part work from Gurjar ki thadi to Triveni Nagar mode) due to road widening work being done by civil wing of JDA, carried out under URGENT and emergent situation, as additional work amounting to Rs.1,05,55,817.36 in the existing contract of " S/D of HT/LT line by laying underground cables in Gopalpura byepass area in CD-I". | विचार–विमर्श पश्चात "Work of shifting of electrical utilities on the Gopalpura bye-pass road (part work from Gurjar ki thadi to Triveni Nagar mode) due to road widening work being done by civil wing of JDA, carried out under URGENT and emergent situation, as additional work amounting to Rs.1,05,55,817.36 in the existing contract of " S/D of HT/LT line by laying underground cables in Gopalpura byepass area in CD-I" के लिए "Negotiation" आमंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) |
| 40. | 202.40 | Ex Post Facto approval of Bid Documents and pre bid minutes for Comprehensive Traffic and Transportation Study (the "Project") for the Jaipur Region. | विचार–विमर्श पश्चात "Comprehensive Traffic and Transportation Study (the "Project") for the Jaipur Region" के लिए "Bid document" एवं "Pre Bid minutes" की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। | निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| 41. | 202.41 | Constution of CC road in New Aatish market, JDA, Jaipur | विचार–विमर्श पश्चात " Constution of CC road in New Aatish market, JDA, Jaipur" के लिए निविदा का अनुमोदन 60 दिवस उपरान्त किए जाने के कारण राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के तहत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा के सम्बन्ध में न्यूनतम दरदाता मैसर्स गोयल सावित्री इण्डस्ट्रीज़ के पक्ष में "G-Shedule based on PWD BSR" पर 28.92% कम दर पर राशि रूपए 4,78,22,479.00 की निविदा की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। | निदेशक (अभियान्त्रिकी–द्वितीय) |
| 42. | 202.42 | Regarding taking decision for issue of work order due to late deposition of Performance Guarantee for the work of " Renewal and Improvement of Main Carriageway and Service road of 200 feet Airport road Phase -II Sector 29, area, JDA, Jaipur | विचार–विमर्श पश्चात मैसर्स देवी कन्सट्रक्शन कम्पनी को आवंटित कार्य ''जोन–9 के सेक्टर 29 में 200 फीट एयरपोर्ट रोड पर मुख्य लेन और सर्विस रोड का नवीनीकरण एवं सुधार कार्य, फेज–द्वितीय'' में फर्म द्वारा नियमानुसार निर्धारित समय में वर्क परफोरमेन्स/गारण्टी राशि जमा नहीं कराए जाने के कारण 2% बिड सिक्योरिटी राशि ज़ब्त करने का निर्णय लिया गया।<br>उक्त निर्णय के क्रम में इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों में एकरूपता रखना अनिवार्य होगा।<br>इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए कमेटी द्वारा पूर्व में कार्यकारी समिति की दिनांक 15.01.2015 को आयोजित 192वीं बैठक के एजेण्डा संख्या 192.38 में वर्क परफोरमेंस राशि | निदेशक (अभियान्त्रिकी–प्रथम) |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र.सं. | एजेण्डा संख्या | विषय | बैठक में किये गये निर्णय/सुझाव | सम्बन्धित अधिकारी |
|---|---|---|---|---|
| | | | (बी. एस. आर. से कम दर की अन्तर राशि) लिए जाने के निर्णय के क्रम में जारी आदेश क्रमांक जविप्रा/अधि.अभि./T.A. to Dir. Engg.-I/2014-15/डी-204 दिनांक 16.02.15 को जयपुर विकास प्राधिकरण की बी. एस. आर. रिवाईज़ करने के कारण Withdraw किया गया।<br>अतः अब भविष्य में आमंत्रत की जाने वाली निविदाओं में वर्क परफोरमेंस राशि (बी. एस. आर. दर से कम दर की अन्तर राशि) संवेदक से नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया। | |

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कमांक प-2(ई.सी.202)/जविप्रा/जे.सी.(एस.एम.)/2016/डी-207 दिनांकः 26-4-2016

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः-

| क.स. | पद | विभाग का नाम |
|---|---|---|
| 1 | विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय | नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार। |
| 2 | अध्यक्ष | राजस्थान आवासन मण्डल। |
| 3 | अतिरिक्त मुख्य सचिव | नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर। |
| 4 | महापौर | जयपुर नगर निगम। |
| 5 | जिला प्रमुख | ज़िला परिषद, जयपुर। |
| 6 | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 7 | अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक | रीको, जयपुर। |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर। |
| 9 | प्रबन्ध निदेशक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर। |
| 10 | जिला कलक्टर | जिला कलक्ट्रेट, जयपुर। |
| 11 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | नगर निगम, जयपुर। |
| 12 | पुलिस अधीक्षक | पुलिस विभाग, जयपुर। |
| 13 | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 14 | मुख्य नगर नियोजक | नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर। |
| 15 | मुख्य अभियन्ता | सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर। |
| 16 | मुख्य अभियन्ता | जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर। |
| 17 | मुख्य अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर। |
| 18 | निदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 19 | निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 20 | निदेशक (नगर आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 21 | निदेशक (वित्त) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 22 | अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/पुनर्वास/एल.पी.सी./भूमि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 23 | संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 24 | उपायुक्त जोन..... | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |
| 25. | सहायक निदेशक (जन-सम्पर्क) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। |

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 202वीं बैठक दिनांक 21.04.2016 को सायंकाल 3:00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री शिखर अग्रवाल, जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

| क्र. सं. | नाम सदस्य/ अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री शिखर अग्रवाल | आयुक्त | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोड़ा | सचिव | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 3. | श्री एन. सी. माथुर | निदेशक (अभियांत्रिकी-प्रथम) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 4. | श्रीमती लवंग शर्मा | निदेशक (आयोजना) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य |
| 5. | श्री दीपक शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता | जयपुर विद्युत वितरण निगम | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 6. | श्री एम. पी. बडगूजर | ए. सी. पी. (एडमिनिस्ट्रेशन) | पुलिस आयुक्तालय, जयपुर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 7. | श्री राकेश शर्मा | अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम | जयपुर नगर निगम | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 8. | श्री महेन्द्र सिंह | वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबंधक | रीको | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 9. | श्री अनन्त कुमार कुमावत | उपनिदेशक (विधि) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | सदस्य के प्रतिनिधि |
| 10. | श्री राम गोपाल शर्मा | सहायक क्षेत्रिय प्रबंधक | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | सदस्य के प्रतिनिधि |
| अन्य उपस्थित अधिकारी | | | | |
| 11. | श्री ललित शर्मा | निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 12. | श्री राजकुमार शर्मा | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-IV | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 13. | श्री अरविन्द आर्य | अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-II | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 14. | श्री बी. डी. जाट | अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(मास्टर प्लान) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 15. | श्री बृजेश किशोर शर्मा | विशेषाधिकारी (आर.एम.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 16. | श्री असलम शेरखॉ | उपायुक्त प्रशासन | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 17. | श्री विषणु कुमार गोयल | उपायुक्त जोन-1 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 18. | श्री भागीरथ हावा | उपायुक्त जोन-8 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 19. | श्री मनोज कुमार सोनी | अधीक्षण अभियन्ता-II | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 20. | श्री सजंय शर्मा | अधीक्षण अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 21. | श्री संजय बाघमोरे | वरिष्ठ नगर नियोजक | रीको | |
| 22. | श्री अजय गर्ग | अधीक्षण अभियन्ता-IX | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 23. | श्री वेद प्रकाश वर्मा | अधीक्षण अभियन्ता-XII | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | नाम सदस्य/ अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 24. | श्री देवेन्द्र गुप्ता | अधीक्षण अभियन्ता–VI | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 25. | श्री एन. के. सिंघल | अधीक्षण अभियन्ता–5 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 26. | श्री राम प्रसाद | अधीक्षण अभियन्ता–XI | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 27. | श्री संजीव कुमार जैन | अधीक्षण अभियन्ता–X रिंगं रोड | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 28. | श्री आर. एल. माथुर | अधीक्षण अभियन्ता उद्यान | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 29. | श्री संजीव सचदेव | अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–द्वितीय | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 30. | श्री देवेन्द्र केवलीया | अधिशाषी अभियन्ता–2ए/3 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 31. | श्री सलीम अहमद | अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत– III | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 32. | श्री विवके शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 33. | श्री रिछपाल सिंह | अधिशाषी अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 34. | श्री एस. आर. राय | अधिशाषी अभियन्ता–प्रोजेक्ट 3 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 35. | श्री सुधीर वर्मा | अधिशाषी अभियन्ता–PHE-III | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 36. | श्री मुकेश कुमार मीणा | अधिशाषी अभियन्ता–PHE-I | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 37. | श्री एस. सी. मीना | अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–प्रथम | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 38. | श्री एस. के. बिसरिया | अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत–4 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 39. | श्री ए. के. शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता–17 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 40. | श्री मकसूद अहमद | अधिशाषी अभियन्ता– III | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 41. | श्री मोहित चौधरी | अधिशाषी अभियन्ता–RRP-I V | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 42. | श्री अनिल विजयवर्गीय | अधिशाषी अभियन्ता– जोन–9 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 43. | श्री बी. डी. शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता– 13 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 44. | श्री धर्मेन्द्र शर्मा | अधिशाषी अभियन्ता–8 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 45. | श्री बी. एम. जोशी | अधिशाषी अभियन्ता–ROB-11 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 46. | श्री पी. के. व्यास | अधिशाषी अभियन्ता–16 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 47. | श्री अजय राठौड़ | अधिशाषी अभियन्ता–RRP-II | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 48. | श्री दीपक माथुर | अधिशाषी अभियन्ता–इंनेज II | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 49. | श्री बृजेश अवस्थी | अधिशाषी अभियन्ता–5 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | नाम सदस्य/ अधिकारी | पद | विभाग | पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 50. | श्री अनिल कुमार शुक्ला | अधिशाषी अभियन्ता–ROB III | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 51. | श्री भवर सिंह | सहायक अभियन्ता 1ए | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 52. | श्री राजीव सिंघल | सहायक अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 53. | श्री सतीश गुप्ता | सहायक अभियन्ता–विद्युत | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 54. | श्री के. सी. चोधरी | सहायक अभियन्ता–विद्युत | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 55. | श्री देवेश गुप्ता | सहायक अभियन्ता | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 56. | श्री ओम थानवी | तहसीलदार जोन–12 | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |
| 57. | श्रीमती ऊषा जैन | विशेषाधिकारी (पी. आर.) | जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर | |

(पवन अरोड़ा)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर